किस्म मुकदमा धारा 212 आरटीए एवं 151 सी.पी.सी. बनाम विनोद कुमार

नं. 14/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1[redacted] 16.02.18	प्रार्थी तहसीलदार समदडी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी के विरूद्व पेश किया बाद रिपोर्ट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से तहसीलदार समदडी ने निवेदन किया है कि ग्राम देवडा के खसरा नम्बर 62 रकबा 39.05 बीघा में से विप्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। विप्रार्थी द्वारा उसके खातेदारी भूमि मे से 3.00 बीघा मे पर अनाधिकृत रूप से गैर कृषि कार्य व्यर्थ पत्थरो का मलबा डालकर अकृषि कार्य के लिये उपयोग में किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का उल्लघन किया गया जो स्थापित विधि एवं नियमों के विरूद्व एवं विपरित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मामला प्रथम द्वष्टयता प्रार्थी के पक्ष में है, एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्राथमिक रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्राथमिक रूप स्वीकार कर विप्रार्थी के विरूद्व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है, विवादित ग्राम देवडा के खसरा नम्बर 62 रकबा 39.05 बीघा में से विप्रार्थी के नाम 1/4 हिस्से जमीन पर गैर कृषि कार्य नहीं करे साथ ही मौके पर बंटवाडे अनुसार विवादित 3.00 बीघा भूमि को कुर्क करके पटवारी हल्का देवडा को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। विप्रार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.04.18 को पेश हो। [illegible] DO) सिवाना	